

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-1-31/2018/सात-6 . — मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, जिला सतना की तहसील रघुराजनगर की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 01 से 19, 35 से 59, 62 से 65 एवं 68 से 73 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील रघुराजनगर के पटवारी हल्का क्र. 01 से 19, 35 से 59, 62 से 65 एवं 68 से 73 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रघुराजनगर (नगरीय) का सृजन करती है, जिसमें कुल 50 पटवारी हल्के होंगे और 130 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय सतना में होगा। शेष तहसील रघुराजनगर का नवीन नाम एवं नवीन मुख्यालय "कोठी" होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-31/2018/सात-6 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-31/2018/सात-6 दिनांक 17.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-31/2018/VII/6 . — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Raghurajnagar of District Satna from 1st January, 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 19, 35 to 59, 62 to 65 and 68 to 73 and creates a new Tehsil Raghurajnagar (Nagriya) by comprising of Patwari Halka No. 01 to 19, 35 to 59, 62 to 65 and 68 to 73 of Tehsil Raghurajnagar, in which the total patwari Halkas shall be 50 and villages shall be 130. The headquarter of the said Tehsil shall be at Satna. The New name and new Headquarter of Remaining Tehsil Raghurajnagar shall be Kothi

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Hari Ranjan Rao, Principal Secretary.

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय


:: आदेश ::

162

भोपाल, दिनांक 31. अगस्त, 2019

क्रमांक एफ. 01-31/2018/सात/शा.7- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.12.2018 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सतना की तहसीलें रघुराजनगर (नगरीय) तथा तहसील कोठी (ग्रामीण) की सीमाओं में परिवर्तन करती है। तहसील कोठी (ग्रामीण) के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 34, 60, 61, 66, 67 एवं 74 से 104 को अपवर्जित करते हुए तहसील रघुराजनगर (नगरीय) में समाविष्ट कर सृजन करती है। इस प्रकार तहसील रघुराजनगर (नगरीय) में पटवारी हल्का क्रमांक 6 से 12, 17 से 34 एवं 57, 60 से 104 कुल 71 पटवारी हल्के होंगे और 209 ग्राम समाविष्ट होंगे एवं इसका मुख्यालय सतना होगा एवं तहसील रघुराजनगर (नगरीय) से पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 05 तक एवं 13 से 16 तक तथा 35 से 56 तक एवं 58, 59 कुल 33 पटवारी हल्के अपवर्जित करते हुए तहसील कोठी (ग्रामीण) में समाविष्ट कर सृजन करती है जिसमें कुल 33 पटवारी हल्के होंगे और कुल 78 ग्राम समाविष्ट होंगे एवं इसका मुख्यालय 'कोठी' होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(मुजीबुरहमान खान)
उप सचिव 31/8/19

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक एफ. 01-31/2018/सात/शा.7 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 01-31/2018/सात/शा.7 दिनांक 31-8-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


उप सचिव 31/8/19

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

163

22.06.2019 नगरीय दफ्तर में प्राप्त

Order

Bhopal, dated: 31/8/2019

No F-1-31/2018/VII/7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959), the State Government, hereby, by amending the even numbered order dated 17th December, 2018 of this department and alters the limits of Tehsil Raghuraj Nagar (Nagriya) and Tehsil Kothi of district Satna from the date of publication of this order in the official gazette by excluding the patwari halka no 20 to 34, 60, 61, 66, 67 and 74 to 104 from Tehsil Kothi and creates the Tehsil Raghuraj Nagar (Nagriya) by comprising the patwari halka no 6 to 12, 17 to 34, 57 and 60 to 104, in which total patwari halkas shall be 71 and villages shall be 209 and its headquarter shall be Satna and by excluding the patwari halka no 1 to 5 and 13 to 16, 35 to 56, 58 and 59 from Tehsil Raghuraj Nagar (Nagriya) and creates the Tehsil Kothi (Gramin) by comprising the said patwari halkas in which total patwari halkas shall be 33 and villages shall be 78 and its headquarter shall be Kothi.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh.



Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh
Revenue Department

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 1-31/2018/सात/शा.7
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 31 अगस्त, 2019

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. संभागायुक्त, सीवा, मध्यप्रदेश,
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश,
4. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
5. कलेक्टर, जिला-सतना, मध्यप्रदेश,
6. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर, प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
7. संचालक, सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।


उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)
क. 5/27/आ.का. /तह.रघु./2019

सतना दिनांक 5.9.19

आदेश

सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कं एफ. 01-31/2018/सात/शा.7 दिनांक 31.08.2019 द्वारा सम संख्यक आदेश दिनांक 17.12.2018 को संशोधित करते हुये जिला सतना की तहसील रघुराजनगर (नगरीय) तथा तहसील कोठी (ग्रामीण) की सीमाओं को निम्नानुसार सृजन किया गया है:-

तहसील रघुराजनगर (नगरीय) को निम्नानुसार सृजित किया गया है:-

रा.नि.म.रैगांव में पंचायतवार सम्मिलित हल्के	रा.नि.म.सोहावल में पंचायतवार सम्मिलित हल्के	रा.नि.म.हाटी में पंचायतवार सम्मिलित हल्के	रा.नि.म.सतना में पंचायतवार सम्मिलित हल्के	रा.नि.म.रामस्थान में पंचायतवार सम्मिलित हल्के
1. हडखार	14 बचबई	26 बराकला	41 बगहा	56 बारीकला
2. पडरौत	15 बाबुपुर	27 रामपुर चौरासी	42 बरदाडीह	57 नीमी
3. बांधी	16 सेहावल	28 कुशियरा	43 सतना	58 बारीखुर्द
4. इटमा	17 सोहौला	29 मेदनीपुर	44 धवारी	59 कुआं
5. मसनहा	18 महदेवा	30 हाटी	45 डेलौरा	60 सोहास कोठार
6. धौरहरा	19 अमौधाकला	31 हटिया	46 बेलहटा	61 रगौली
7. रैगांव	20 मझगवां	32 खम्हरिया	47 सेजहटा	62 रामस्थान
8. नारायणपुर	21 करही कोठार	33 पासी	48 माधवगढ	63 पतौडा
9. कल्हारी	22 अहिरगांव	34 डगडीहा	49 कृपालपुर	64 फुटौधी
10. डिलौरा	23 भुमकहर	35 कोठरा	50 कोलगवां	65 फुटौधा
11. डिलौरी	24 कुडिया	36 पोइंधाकला	51 घूरडांग	66 बिरहुली
12. मुडहाकला	25 नकटी	37 भरजुनाकला	52 चैना	67 सकरिया
13. शिवपुर		38 भरजुनाखुर्द	53 बठियाकला	68 खम्हरियां ति.
		39 लालपुर	54 बेला	69 जमोडी
		40 सगमा	55 कैमा उन्मूलन	70 मांद
				71 मटेहना

जस्व निरीक्षक मण्डल रैगांव में सम्मिलित हल्कों का शासकीय/न्यायालयीन कार्य न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सोहावल से सम्पादित होगा। इसी तरह राजस्व निरीक्षक मण्डल हाटी के सम्मिलित हल्कों का शासकीय/न्यायालयीन कार्य न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त रामस्थान न्यायालय से सम्पादित होंगे।

निरंतर.....2

तहसील कोठी (ग्रामीण) को निम्नानुसार सृजित किया गया है:-

रा.नि.म.झाली में पंचायतवार सम्मिलित हल्के		रा.नि.म.कोठी में पंचायतवार सम्मिलित हल्के	
1 खनगढ	9 उजरौधा	17 पवईया	25 नयागांव 33 मदनी
2 करसरा	10 झाली	18 गुलुआ	26 कंचनपुर
3 भंवर	11 बरहना	19 नैना	27 बम्हरौला
4 चोरवरी	12 दिदौध	20 मनकहरी	28 भैंसवार
5 टीकर	13 गोरइया	21 पोडी	29 नचनौरा
6 सेमरिया	14 रायपुर	22 रनेही	30 पुरवा
7 पैकोरी	15 सेमरीकला	23 कोठी	31 नदना
8 खडौरा	16 मौहार	24 उदयसागर	32 जैतवारा 163

राजस्व निरीक्षक मण्डल झाली के समस्त शासकीय/न्यायालयीन कार्य तहसीलदार कोठी के न्यायालय से सम्पादित होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये प्रभावशील रहेगा।

अनुविभागीय अधिकारी

रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

सतना दिनांक 5-5-19

पृ.क. 530 / आ.का. / तह.रघु. / 2019

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय (भू.अभि.शाखा) सतना की ओर सादर सम्प्रेषित।

2. तहसीलदार रघुराजनगर/कोठी की ओर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

3. नायब तहसीलदार वृत्त सोहावल रामस्थान की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. राजस्व निरीक्षक रैगांव/सोहावल/हाटी/सतना/रामस्थान/कोठी की ओर पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी

रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

(4) श्री व्ही. एल. कान्ता राव, भाप्रसे, द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिए) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. एल. कान्ता राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एल. कान्ताराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्र. एफ. 01-31-2018-सात-शा. 7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सतना की तहसीलें रघुराजनगर (नगरीय) तथा तहसील कोठी (ग्रामीण) की सीमाओं में परिवर्तन करती है. तहसील कोठी (ग्रामीण) के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 34, 60, 61, 66, 67 एवं 74 से 104 को अपवर्जित करते हुए तहसील रघुराजनगर (नगरीय) में समाविष्ट कर सृजन करती है. इस प्रकार तहसील रघुराजनगर (नगरीय) में पटवारी हल्का क्रमांक 6 से 12, 17 से 34 एवं 57, 60 से 104 कुल 71 पटवारी हल्के होंगे और 209 ग्राम समाविष्ट होंगे एवं इसका मुख्यालय सतना होगा एवं तहसील रघुराजनगर (नगरीय) से पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 05 तक एवं 13 से 16 तक तथा 35 से 56 तक एवं 58, 59 कुल 13 पटवारी हल्के अपवर्जित करते हुए तहसील कोठी (ग्रामीण) में समाविष्ट कर सृजन करती है जिसमें कुल 33 पटवारी हल्के होंगे और कुल 78 ग्राम समाविष्ट होंगे एवं इसका मुख्यालय “कोठी” होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्र. एफ. 01-31-2018-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 01-31-2018-सात-शा. 7 दिनांक 31 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, dated 31st August, 2019

No.F-1-31-2018-VII-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, by amending the even numbered order dated 17th December, 2018 of this department and alters the limits of Tehsil Raghuraj Nagar (Nagriya) and Tehsil Kothi of district Satna from the date of publication of this order in the official gazette by excluding the patwari halka No. 20 to 34, 60, 61, 66, 67 and 74 to 104 from Tehsil Kothi and creates the Tehsil Raghuraj Nagar (Nagriya) by comprising the patwari halka No. 6 to 12, 17 to 34, 57 and 60 to 104, in which total patwari halkas shall be 71 and villages shall be 209 and its headquarter shall be Satna and by excluding the patwari halka No. 1 to 5 and 13 to 16, 35 to 56, 58 and 59 from Tehsil Raghuraj Nagar (Nagriya) and creates the Tehsil Kothi (Gramin) by comprising the said patwari halkas in which total patwari halkas shall be 33 and villages shall be 78 and its headquarter shall be Kothi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN Dy. Secy.